

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या- 664 /सेक-2-पांच-16-1(19)/2015

लखनऊ :: दिनांक : 27 फरवरी, 2016

कार्यालय जाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु0 16,400-20,000 यथा संशोधित वेतनमान-रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे-8900) के निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु0 18,400-22,400 यथा संशोधित वेतन बैंड-4-37,400-67,000 ग्रेड पे-10000) के रिक्त पदों पर उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर प्रोन्नत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	वरि0क्रमां0	अधिकारी का नाम
1	4690	डा0 पुष्पेन्द्र कुमार पाठक
2	4789	डा0 पार्वती सिन्धी
3	4790	डा0 नीना गुप्ता
4	4838	डा0 सविता दुबे
5	4857	डा0 आदया प्रसाद पाण्डेय
6	4858	डा0 पद्माकर सिंह
7	4859	डा0 जय प्रकाश आर्या
8	4863क	डा0 राकेश सक्सेना (मेजर)
9	4878	डा0 प्रमोद कुमार
10	4879	डा0 एहतेशामउद्दीन सिद्दीकी
11	4888	डा0 सुरेश्वर नाथ त्रिपाठी
12	4910	डा0 आलोक चन्द्र त्रिपाठी
13	4925	डा0 शिव प्रसाद त्रिपाठी
14	4939	डा0 मान सिंह
15	4945	डा0 सुरेश चन्द्र
16	4946	डा0 उमाकान्त

2- उपर्युक्त प्रोन्नत चिकित्साधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 664 (1)/सेक-2-पांच-16, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से संबंधित चिकित्साधिकारियों को परिचालित कराने एवं उक्त सूची को विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

- 5- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
- 7- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण, 30प्र0, लखनऊ।
- 8- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0।
- 9- ~~समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, 30प्र0।~~
- 10- समस्त प्रमुख अधीक्षक/अधीक्षिका/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय/जिला /संयुक्त/पुरुष/महिला चिकित्सालय, 30प्र0।
- 11- संबंधित कोषाधिकारी।
- 12- संबंधित चिकित्साधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि तत्काल अपनी वर्तमान तैनाती स्थान पर योगदान करते हुए योगदान आख्या शासन/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को उपलब्ध करायें।
- 13- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश सहित कि उक्त आदेश को तत्काल विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

८ ८